पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–103 / 2021 (2021 / 320)

प्रपत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 18.08.2021

शीर्षक

1. कन्हैयालाल पिता नारायण नायक नाबालिग जरिये संरक्षक माता टमूदेवी बैवा नारायणलाल नायक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. कमलेश पिता नारायण नायक नाबालिग जरिये संरक्षक माता टमूदेवी बैवा नारायणलाल नायक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. किशनलाल पिता सोहनलाल नायक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु0 टमुदेवी बैवा नारायणलाल नायक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मु0 प्यारीदेवी पत्नि सोहनलाल नायक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. प्रकाश पिता सोहनलाल नायक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. श्रीमती रतनी पुत्री सोहनलाल नायक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. नंदराम पिता मोहनलाल माली निवासी मालीखेड़ा पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती डाली बैवा रामलाल रेगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. प्रेमचन्द पुत्र रामलाल रेगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. रतनलाल पिता रामलाल रेगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. बरदीचन्द पुत्र जगनाथ गाडरी (पूर्बिया) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. बालुराम पिता जगनाथ गाडरी (पूर्बिया) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. शंकरलाल पिता भैरूलाल गाडरी (पूर्बिया) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. मु0 श्यामुदेवी बैवा भैरूलाल गाडरी (पूर्बिया) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. रतनलाल पिता अमरचन्द गाडरी (पूर्बिया) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. रोशन पुत्र हीरालाल माली निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.16 15:30:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री ... चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

प्रकरण संख्या :–103/2021 (2021/320)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः–14.09.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1554 रकबा 0.08 हे0, 1557 रकबा 0.34 हे0, आराजी संख्या 1571 रकबा 0.80 हे0, आराजी संख्या 1570 रकबा 0.70 हे0 भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 1.92 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 109 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1554 रकबा 0.08 हे0, 1557 रकबा 0.34 हे0, आराजी संख्या 1571 रकबा 0.80 हे0, आराजी संख्या 1570 रकबा 0.70 हे0 भूमि कुल किता 04 कुल रकबा 1.92 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 109 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 700/– (सात सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 700/– (सात सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर [illegible] अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.16 15:30:20 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.